न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/16/2021	2021/124	08.10.2011	06.12.2021

01–नत्थूराम उम्र करीब 66 साल पुत्र आशा राम।
02–रूडमल उम्र करीब 63 साल पुत्र श्री आशा राम।
03–मदनलाल उम्र करीब 60 साल पुत्र श्री आशा राम।
04–अमर सिंह उम्र करीब 57 साल पुत्र श्री आशाराम जातियान माली निवासीयान ग्राम ढाणी पुरूवाली वानसूर तहसील वानसूर जिला अलवर।

–अपीलांट

वनाम

01–रोहिताश उम्र करीब 57 साल दत्तक पुत्र गोरखी जाति माली निवासी ग्राम ढाणी पुरूवाली, वानसूर तहसील वानसूर जिला अलवर।
02–तहसीलदार वानसूर जिला अलवर।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश 13.07.2017 तहसीलदार वानसूर
इन्तकाल संख्या 2161 ग्राम व तहसील वानसूर(अलवर)

उपस्थितः–
01–श्री श्योराम सिंह नरूका — वकील अपीलांट
02–श्री जगदीश सिंह — वकील रेस्पोडेन्ट

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार वानसूर के विरासत इंतकाल संख्या 2161 ग्राम वानसूर दिनांक 13.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–01 परिवार के ही सदस्य है। अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या–1 आशाराम उर्फ आसला की सन्तान है जिनका सजरा निम्न प्रकार है :–

आशाराम उर्फ आसला
1
नत्थूराम रूडमल मदनलाल अमरसिंह रोहिताश
पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र (पुत्र जो रजिस्टर्ड गोदनामा 24–8–87 से गोरखी के गोद चला गया)

प्रमाणित फोटो प्रति
रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

यह कि अपीलांट के पिता के मृत्यु होने पर जीवित पुत्र जो क्रमशः नत्थूराम, रूडमल, मदनलाल , अमर सिंह है एंव पांचवा पुत्र रोहिताश था वो उनके जीवनकाल में ही उनके द्वारा दिनांक 24.08.87 को रजिस्टर्ड गोदरामें से गोद दिया गया था एवं उसका गोरखी की चल अचल सम्पत्ति में उसका तर्का प्राप्त हो गया और हमारे परिवार से उसका किसी प्रकार का कोई संबंध

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

सरोकार नहीं रहा और न ही हमारे पिता आशाराम उर्फ आसला की चल अचल सम्पत्ति में उसका कोई हक व हिस्सा रहा है लेकिन इस तथ्य को तहसीलदार द्वारा न दर्ज किया न ही गौर किया गयो तो तथ्य काबिल गोर अदालत है। जब रोहिताश गोरखी के गोद चला गया तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी के गोद चला जाता है तो उसके अधिकार गोद के माता पिता की सम्पत्ति में चले जाते है , जो जन्मदाता माता पिता सम्पत्ति में उसका कोई हक व हिस्सा नहीं रहता है। पटवारी हल्का द्वारा जो इंतकाल दर्ज किया है जिसमें रोहिताश का नाम गलत दर्ज किया है और वारिसों की कोई नियमानुसार जांच नहीं की गई और न ही अपीलांट को सुना गया और सूचना दी गई और न नोटिस दिया गया और बाला बाला एक तरफा में इंतकाल का फैसला किया गया है जिस कारण तहत अदालत का आदेश निरस्तनीय है। पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल दर्ज किये जाने पर 7 दिन का समय कानूगो को जांच के लिये होता है एवं उसके बाद इंतकाल ग्राम पंचायत में आता है वहां पर उसके वारिसों की जांच ग्राम पंचायत करती है और 45 दिन तक ग्राम पंचायत को फैसला करने का अधिकार होता है यदि 45 दिन में ग्राम पंचायत फैसला नहीं करती है तो तहसीलदार को फैसला करने का अधिकार प्राप्त होता है इससे पूर्व तहसीलदार द्वारा कोई इंतकाल स्वीकार किया जाता है तो वह विधि विरूद्ध हैं। और उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है इसलिये तहत अदालत का आदेश निरस्तनीय है।

अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तहत अदालत तहसीलदार भू0अ0बानसूर के आदेश दिनांक 13.07.2017 बाबत इंतकाल संख्या 2161 ग्राम बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर जिसमें रोहिताश के नाम का अंकन स्वीकार किया गया है उसे निरस्त फरमाया जावे एवं तहसीलदार बानसूर को आदेशित किया जावे कि इस इंतकाल संख्या 2161 के आधार पर जो रोहिताश के नाम का अंकन किया है उसे कलमजन किया जाकर अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश सादिर फरमावें।

अपीलांट को इंतकाल संख्या 2161 दिनांक 13.07.2017 की पूर्व में जानकारी नहीं थी। उक्त इंतकाल की जानकारी अपीलांट को दिनांक 14.09.2021 को हुई। अतः दिनांक 13.07.2017 से 14.09.2021 तक का समय अपीलांट की लाइल्मी में निकला है उक्त समय मुजरा दिये जाने योग्य है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपील में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट आशाराम के जीवनकाल में ही गोरखी के गोद चला गया था और गोरखी की चल अचल सम्पत्ति में रेस्पोडेन्ट को तर्का प्राप्त हो गया था यानि सम्पत्ति प्राप्त हो गई थी। आशाराम उर्फ आसला की चल अचल सम्पत्ति में मिन रेस्पोडेन्ट का कोई हक व हिस्सा नहीं बचा है अपील स्वीकार कर ली जावे तो मुझ रेस्पोडेन्ट को कोई ऐतराज नहीं है।

उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलांट अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या–01 रोहिताश, आशाराम उर्फ आसला का पुत्र है। आशाराम के जीवनकाल में ही जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा के रोहिताश गोरखी के गोद चला गया था एवं गोरखी के चल अचल सम्पत्ति में रोहिताश को समस्त अधिकार प्राप्त हो चुके है। आशाराम उर्फ आसला की मृत्यु होने के उपरान्त तहसीलदार बानसूर द्वारा विरासत दर्ज करते समय अपीलांट के साथ–साथ रोहिताश के नाम का भी अंकन कर दिया। जब रोहिताश गोरखी के गोद चला गया था और गोरखी की सम्पत्ति में रोहिताश को समस्त अधिकारी प्राप्त हो चुके है तो पिता की जायदाद में उसका

प्रमाणित फोटो प्रति

हिस्सा तर्क होना चाहिये। रेस्पोडेन्ट वकील ने प्रकरण मे इकबाल जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट रोहिताश अपने पिता के जीवनकाल में ही गोरखी के गोद चला गया था और गोरखी की सम्पत्ति प्राप्त हो गई थी। पिता की चल अचल सम्पत्ति में रेस्पोडेन्ट का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है। अपील स्वीकार करने का कथन किया। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं रेस्पोडेन्ट के इकबालिया जवाब का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपील मंजूर करने का निवेदन किया है।

अतः उभय पक्ष की सहमति के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 13.07.2017 बाबत इंतकाल संख्या 2161 वाके ग्राम बानसूर अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बानसूर को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार बानसूर को तहत रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर

निर्णय आज दिनांक 06.12.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर

ADDITIONAL DISTRICT COLLECTOR (I)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)
ALWAR (RAJ.)

प्रमाणित फोटो प्रति

रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर (राज.)